न्यायालय में राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प रीवा,

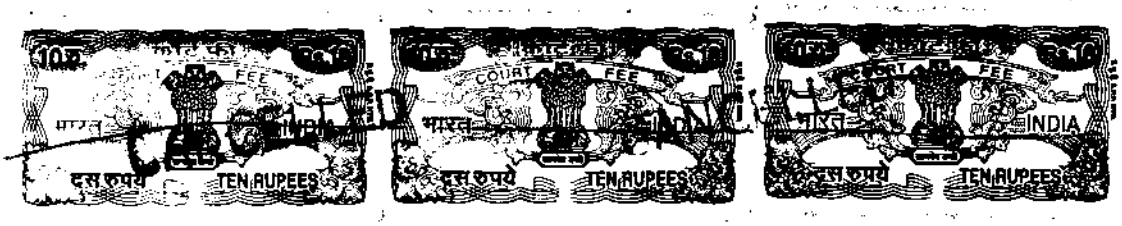

अब्दुल मोमिन खान आत्मज हलीम खान निवासी ग्राम मेढ़की हाल निवास सोहागपुर, वार्ड नं0 1 शहडोल तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0) ——— निगराकार

बनाम

1. शब्बीर अहमद पिता स्व0 तैयब खान,
2. जिबरील खान पिता स्व0 हनीफ खॉन
   दोनों निवासी ग्राम मेढ़की,तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)
3. म0प्र0शासन ———गैरनिगराकार

श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय,उमरिया म0प्र0 के प्र0क्र0 55/पुन0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16.10.12 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर रहा है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि आराजी क्र0 151 रकवा 1.124 हे0, स्थित ग्राम मेढ़की, प0ह0 सलैया, सर्किल अमिलिहा, तहसील पाली, जिला उमरिया (म0प्र0) निगराकार के भूमि स्वामी स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है, माह जनवरी–फरवरी 2007 में जिबरील खान आत्मज स्व0 हनीफ खान निवासी ग्राम मेढ़की के द्वारा उपरोक्त भूमि के अंशभाग 0.020 हे0 पर जबरदस्ती खाई खोदना शुरू किया निगराकार के मना करने पर उसने व्यक्त किया कि वह शब्बीर अहमद आत्मज तैयब खान निवासी ग्राम मेढ़की की भूमि पर खाई खोद रहा है।
2. यह कि जिबरील खान के द्वारा सीमा का विवाद प्रारंभ करने पर निगराकार न्यायालय तहसीलदार महो0पाली जिला उमरिया के समक्ष सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो रा0प्र0क्र0 10–अ–12/06–07 में पंजीकृत किया जाकर रा0नि0मं0 अमिलिहा को सीमांकन हेतु आदेशित किया था। वक्त सीमांकन यह प्रमाणित हुआ था कि जिबरील खान निगराकार के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर खाई खोद रहा है।
3. यह कि रा0नि0मं0 अमिलिहा के द्वारा किये गये सीमांकन को गैर निगराकारगणों के द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष आक्षिप्त नहीं किया गया फलस्वरूप तहसीलदार पाली के द्वारा दिनांक 09.04.07 को सीमांकन का कनफरमेशन कर दिया गया। जिसे

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R4102-II/12

जिला–उमरिया

अब्दुल मोमिन खान/ शब्बीर अहमद

(1)	(2)	(3)
5.8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 55/पुनर्वालोकन/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	